तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 189/2023 GCMS 2023/651 **दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा** **अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** **उनवानी अशोक कुमार बनाम रामा देवी आदि**	
18.06.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित आये। वादी कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहता है। अतः साक्ष्यवादी बन्द की जाती है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादी ने नोटेरी से तस्दीक विक्रय ईकरारनामा दिनांक 12.03.2020 के आधार पर वादग्रस्त भूमि स्थित राजस्व ग्राम बबाई खाता संख्या 227 में दर्ज खसरा नम्बर क्रमशः 492, 493, 494, 497 कुल किता 4 कुल रकबा 1.10 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 रामा पत्नी झन्डुराम के हिस्सा 1/6 के खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही है। हस्तगत प्रकरण सिविल प्रकृति का होने से नोटेरी से तस्दीक विक्रय ईकरारनामा के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादी का हस्तगत वाद काबिले खारिज योग्य है। लिहाजा **—: आदेश :—** अतः वादी का हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18/6/24 (सविता शर्मा) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.24 17:58:09 IST
Reason: SelfAttested